रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 626] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 697(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन के विभिन्न प्रवर्गों, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, परा-चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारीवृंद भी हैं, को लगाया गया है।

और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अधीन लगाए गए संविदात्मक कर्मचारीवृंद को प्रत्येक मास उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रसुविधा के रूप में पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:—

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 697(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health & Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that for the effective implementation of the Scheme, various categories of human resources, which include medical, paramedical and non-medical staff, have been engaged on contractual basis in the States and Union territory Administrations under the Scheme;

And whereas, the contractual staff (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) engaged under the Scheme by the Department of Health and Family Welfare in the States and Union territory Administration are paid remuneration for the work performed by them every month as benefit, which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2d; and

(b) any of the following documents:-

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving License issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 21:51:53 +05'30'